FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

राकेश **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा— राजस्व अपील मुकदमा नम्बर——41—सन्— 2019

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2020	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस हेतु पुनः अवसर चाहा गया। अधिवक्ता अपीलांट को पूर्व मे बहस हेतु एवं शपथ पत्र पेश करने हेतु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न तो शपथ पत्र पेश किया गया और न ही बहस की गई। ऐसी स्थिति मे प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का कालाखो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा मे इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की राकेश पुत्र श्री अर्जुनलाल मीना निवासी ग्राम कुशाला का बास कालाखो ने खसरा नं0 754 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म सिवायचक वाके ग्राम कालाखो पर अनाधिकृत रूप से बाजरा बोकर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस की तामील होने पर बावजूद सूचना अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। आदेशिका के अनुसार विजेन्द्र मीना भाई उपस्थित होना अंकित है। पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 28.08.2018 मे कैफियत पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना तथा पटवारी हक्का के बयान दिनांक 27.12.2018 के अनुसार उक्त राकेश पुत्र अर्जुनलाल मीना पश्चावर्ती एव आदतन अतिचारी होना व्यक्त किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक कालाखो के हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली मे संलग्न फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती दिनांक 28.12.2018 के अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी राकेश पुत्र अर्जुनलाल को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अवैध रूप से काश्त खडी फसल बाजरा को हक सरकार मे कब्जेराज लिया गया एवं जब्तशुदा फसल को नीलाम किया जाना अंकित किया गया है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नही करने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नहीं है और न ही बार बार अवसर दिये जाने उपरांत भी इस न्यायालय मे कोई सबूत/शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे अपीलांट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि अपीलांट को सुनवाई/साक्ष्य/सबूत/शपथ पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना स्वंय अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही होने तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने तथा फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2018 मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। मुकदमा नं0 72/18 उनवानी सरकार बनाम राकेश मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (अविचल चतुर्वेदी) जिला कलक्टर, दौसा जिला कलक्टर,दौसा	तह० दौसा को पत्रांक 685 दिनांक 26-02-20 द्वारा मूल पत्रावली व निर्णय की प्रमाणित प्रेषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official